82

सं0- 97 /सात –न्याय-7-2019-81/2008

प्रेषक,

दिनेश कुमार सिंह-II,
प्रमुख सचिव, न्याय,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
तृतीय तल, जवाहर भवन, लखनऊ।

न्याय अनुभाग-7(क0नि0) लखनऊ: दिनांक: 20 अगस्त, 2019

विषय:- विधिक सेवाओं के सम्बन्ध में पात्रता एवं वार्षिक आय की सीमा रूपये 3.00 लाख तक बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 578/सात-न्याय-7-09-81/2008, दिनांक 30.07.2009 को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 1996 के नियम-16 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय किसी भी ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय सभी स्रोतों से रूपये 3.00 लाख हो, को यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में हो विधिक सेवाओं का हकदार ठहराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(दिनेश कुमार सिंह-II)
प्रमुख सचिव।

सं0-97 (1) /सात –न्याय-7-2019, तददिनांक

प्रतिलपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2- समस्त जिला न्यायाधीश।
3- उच्च न्यायालय, विधिक सेवा समिति, इलाहाबाद।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)
विशेष सचिव

Sri Data Ram
21/08/19

mn-go-1